<u>न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)</u>

<u> (पीठासीन अधिकारी—डी.एस.मण्डलोई)</u>

<u>व्यवहार वाद क.—53ए / 2014</u> संस्थापन दिनांक—12.3.2013

- श्रीमती आशा मेनुएल उम्र 65 वर्ष पति स्व. मेजर ए.व्ही. मेनुएल,
 जाति ईसाई साकिन रौंदाटोला प.ह.नं. 17/1 तहसील बैहर, जिला बालाघाट
- 2. सोहनदीप मेनुएल उम्र 33 वर्ष पिता स्व. मेजर ए.व्ही. मेनुएल जाति ईसाई साकिन रौंदाटोला प.ह.नं. 17/1 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

ब ना म

- शिवशंकर यादव उम्र 30 वर्ष पिता फूलसिंह यादव निवासी वार्ड नं. 1 सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.
- 2. म.प्र. राज्य तर्फे कलेक्टर महोदय, बालाघाट...... **प्रतिवादीगण**
- 1. वादीगण की ओर से श्री आर.के. प्यासी अधिवक्ता।
- 2. प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता।
- प्रतिवादी क्रमांक 2 एकपक्षीय।

----369, 6

—:: <u>निर्णय ::</u>— (आज दिनांक—28 / 10 / 2014 को घोषित)

- (01)— वादीगण ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा बैहर प.ह.नं. 17/1, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3—5—325/1—क, ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5, 123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214हे. पर स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- (02)— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि मौजा बैहर प.ह. नं. 17/1, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3-5-325/1-क,

ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5, 123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214हे. वादीगणों के स्वामित्व एवं कब्जे की अचल सम्पत्ति को प्रतिवादी क. 1 दिनांक 09.3.2013 को जे.सी.बी. मशीन से तहस—नहस करने एवं बगीचे को नष्ट करने के लिए आया और बोला कि जमीन खरीद ली है। जिसकी रिपोर्ट वादीगण ने थाने में दर्ज कराई। प्रतिवादी क. 1 भू—माफिया और झगड़ालु व्यक्ति है। वादीगण को उनकी वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर सकता है और वादग्रस्त भूमि में लगे बगीचे को भी नष्ट कर सकता है। यदि प्रतिवादी क. 1 ने वादीगणों को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त कृषिभूमि से बेदखल कर दिया तो वादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादीगणों के पक्ष में एवं प्रतिवादी क. 1 के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि मौजा बेहर प.ह.नं. 17/1, तहसील बेहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3—5—325/1—क, ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5, 123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214 हे. में प्रतिवादी क. 1 को प्रवेश करने, दखल देने एवं स्वयं या एजेन्टों के द्वारा दखल देने से रोके जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावें।

- (03)— प्रतिवादी क. 1 ने वादीगण के अभिवचनों को अस्वीकार कर खण्डन में व्यक्त किया है कि दिनांक 09.3.2013 को ग्राम माल प.ह.नं. 17/1 रा.नि.मं. बैहर जिला बालाघाट में खसरा नंबर 323½, 323/2 रकबा 4.629 हेक्टेयर भूमि के स्वामी दिनेश ने सीमांकन करवाया, उसे भी बुलाया गया। दिनेश उसकी भूमि की साफ सफाई करवा रहा था। प्रतिवादी क. 1 ने कोई दखलंदाजी नहीं किया है। दिनेश द्वारा उसकी भूमि की साफ सफाई करवायी गई थी और उक्त भूमि का विक्रय करने का सौदा उसके साथ हुआ है। वादीगण ने यह वाद इस कारण पेश किया है कि दिनेश उसकी भूमि को विक्रय नहीं कर सके। वादीगण ने यह वाद बदनियत एवं असत्य आधार पर प्रस्तुत किया है। जिससे सव्यय निरस्त किया जाये।
- (04)— प्रतिवादी कमांक 2 को विधि के आलोक में पक्षकार बनाया गया है उससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष वांछित नहीं है। प्रतिवादी कमांक 2 बिना प्रतिरक्षा के प्रस्तुत किए पूर्व से अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रतिवादी कमांक 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

व्यवहार वाद क.-53ए/2014

(05)— उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये, जिनके समक्ष विधि एवं साक्ष्य की विवेचना के अनुसार न्यायालय द्वारा निष्कर्ष उल्लेखित है :--

7.09		
क्र.	वाद-प्रश्न-	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी क. 1 द्वारा बादीगण के स्वामित्व	
	व अधिपत्य की वादपत्र के चरण 2 में उल्लेखित	हाँ।
	वादग्रस्त भूमि में दिनांक 09.3.2013 को वादीगण	
	के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया ?	
2	क्या वादीगण वादभूमि के संबंध में स्थाई	U
	निषेधाज्ञा पाने के पात्र है ?	हाँ ।
3	क्या वादीगण द्वारा प्रतिवादी क. 1 के विरूद्ध	
	असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत करने के कारण	प्रमाणित नहीं।
	प्रतिवादी क. 1 वादीगण से 5,000 / – रूपए की	-
	राशि बतौर हर्जाना पाने के पात्र हैं ?	a la
4	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 13 अनुसार
		die s

-:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> :-

विचारणीय बिन्दु क. 1 एवं 2 :-

(06)— साक्ष्य विवेचना एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति वादी साक्षी सोहनदीप मेनुएल (वा.सा. 1) के अभिवचन है कि उसकी एवं उसकी मां के स्वामित्व एवं कब्जे की वादग्रस्त भूमि मौजा बैहर प. ह.नं. 17/1, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3—5—325/1—क, ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5, 123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214 हे. पर प्रतिवादी क. 1 जे.सी.बी. मशीन दिनांक 09.3.2013 को लेकर आया और कब्जा करने के लिए मशीन को बगीचे को समाप्त करने की धमकी दी और बोला कि जमीन खरीद ली है। तुम सबको बेकब्जा कर दूंगा। जिसकी शिकायत/रिपोर्ट प्रतिवादी क. 1 जमीन खरीदने एवं भू—माफिया है। धन बल के प्रभाव से वादीगण को अपरिमित क्षति पहूंचा सकता है।

अतः प्रतिवादी क. 1 को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर प्रवेश करने तोड़फोड़ करने से स्थायी रूप से निषेधित किया जावें।

- (07)— वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दिनांक 09.3.2013 को पुलिस थाना बैहर में शिकायत की कार्बन प्रति प्रदर्श पी—1 एवं वादी क्रमांक 1 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि के पांचसाला खसरा वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2, वादीगण के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, वादी क्रमांक 2 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि का खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—4, भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 प्रस्तुत किया है।
- (08)— वादी सोहनदीप के अभिवचनों का समर्थन करते हुए वादी साक्षी बसन्तीबाई (वा. सा. 2) के भी अभिवचन है कि दिनांक 09.3.2013 को प्रतिवादी क. 1 जे.सी.बी. मशीन लेकर आया और वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए जमीन को तहस—नहस करने एवं बगीचे को समाप्त करने की धमकी देने लगा और बोला कि जमीन खरीद ली है, बेदखल कर दूंगा।
- (09)— प्रतिवादी साक्षी शिवशंकर यादव (प्र.सा. 1) के खंडन में अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि के पड़ोसी कृषक दिनेश से उसने 7.00 एकड़ भूमि क्रय की है। भूमि क्रय करने के पहले दिनेश ने उसकी भूमि का सीमांकन करवाया और उसे भी बुलाया गया था। उसने वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं दखल देने का प्रयास नहीं किया और ना ही धमकी दी है। वादीगण दिनेश की भूमि पर कब्जा करने की नियत से यह वाद उसके विरुद्ध असत्य आधार पर झूटा पेश किए है, जिसे सव्यय निरस्त किया जावें।
- (10)— वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के पांचसाला खसरा वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2, वादीगण के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, वादी क्रमांक 2 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि का खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—4, भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी क्रमांक 1 आशा मेनवल एवं वादी क्रमांक 2 सोहनदीप मेनवल के नाम पर शासकीय प्रलेखों में दर्ज है। साथ ही प्रदर्श पी—1 से भी दर्शित होता है कि वादी द्वारा दिनांक 09.3.2013 को पुलिस थाना बैहर में प्रतिवादी शिवशंकर यादव द्वारा जे.सी.बी. मशीन द्वारा वादीगण की भूमि में कब्जा करने शिकायत

व्यवहार वाद क.-53ए/2014

की गई है। तत्संबंध में प्रतिवादी साक्षी शिवशंकर यादव (प्र.सा. 1) ने अपने मुख्य परीक्षण के चरण 2 में व्यक्त किया है कि उसके द्वारा क्रय करने के पूर्व दिनेश जेम्स के द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन करवाया जा रहा था तब उसके द्वारा उसे बुलवाया गया था, तब वह दिनेश जेम्स की भूमि पर नाप के समय गया था। किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उक्त सीमांकन के संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही दिनेश जेम्स से उसकी भूमि विकय का ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। तथापि वादीगण की ओर से स्वतंत्र साक्षी बसन्तीबाई (वा. सा. 2) द्वारा वादीगण के कथनों का समर्थन किया गया है। जिससे घटना के समय प्रतिवादी क्रमांक 1 की मौके पर उपस्थित स्पष्ट होती है। साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ऐसा कोई दस्तावेज एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि वादीगण द्वारा असत्य दावा पेश किया गया है। इसके विपरीत वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य के खण्डन नहीं होने से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क. 1 द्वारा वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की वादपत्र के चरण 2 में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि में दिनांक 09.3.2013 को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया है। तदानुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 का निष्कर्ष सकारात्मक 'हॉ' के रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क. 3:-

(11)— विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 के निष्कर्ष से एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दिनांक 09.3.2013 को पुलिस थाना बैहर में शिकायत की कार्बन प्रति प्रदर्श पी—1 एवं वादी क्रमांक 1 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि के पांचसाला खसरा वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2, वादीगण के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, वादी क्रमांक 2 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि का खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—4, भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी क. 1 द्वारा वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की वादपत्र के चरण 2 में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि में दिनांक 09.3.2013 को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया गया है। प्रतिवादी क. 1 द्वारा कोई ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क. 1 के विरूद्ध असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार विचारणीय बिन्दू क्रमांक 3 का निष्कर्ष नकारात्मक

"नहीं" के रूप में अंकित किया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

- (12)— विचारणीय बिन्दु कमांक—1 व 2 तथा 3 के निष्कर्ष तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दिनांक 09.3.2013 को पुलिस थाना बैहर में शिकायत की कार्बन प्रति प्रदर्श पी—1 एवं वादी कमांक 1 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि के पांचसाला खसरा वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2, वादीगण के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, वादी कमांक 2 के नाम से दर्ज वादग्रस्त भूमि का खसरा वर्ष 2012—13 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी—4, भू—अधिकार एवं ऋण पुरितका प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 से परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी क. 1 के द्वारा वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की वादपत्र के चरण 2 में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि में दिनांक 09.3.2013 को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया है, प्रमाणित होने से वादीगण प्रतिवादी क. 1 के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि मौजा बैहर प.ह.नं. 17/1, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3—5—325/1—क, ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5, 123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214 हेक्टेयर पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने का पात्र है।
- (13)— उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के विवेचना के आधार पर वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि प्रतिवादी क. 1 ने वादग्रस्त भूमि मौजा बैहर प.ह.नं. 17/1, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3—5—325/1—क, ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5, 123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214 हेक्टेयर पर दिनांक 09.3.2013 को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया है और वादीगण वादग्रस्त भूमि पर निषेधाज्ञा पाने के पात्र हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :—
- (01)— प्रतिवादी क्रमांक 1 को स्वयं अथवा अपने एजेंट द्वारा वादीगण के आधिपत्य की भूमि मौजा बैहर प.ह.नं. 17/1, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 125/2, 323/3—5—325/1—क, ख/2, रकबा 0.804हे, 125/3, 323/3—325//1—क, ख/3 रकबा 0.607हे., 125/4, 323/3—325/1—क, 1—ख/4, रकबा 0.607हे., 125/5,

व्यवहार वाद क.-53ए/2014

123/3—5—324/2, 325/1—क, ख/5 रकबा 1.214हे. पर प्रवेश, दखल हेतु स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है।

- (02)— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- (03)— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या नियमानुसार जो भी कम हो देय हो। तद्ानुसार जय-पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) ATTHERIA PORTA POR